न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 337 / 2013 | तारीख दायर 23-09-2013 | तारीख फैसला 30/03/2022

उनवान

1. मु0 केशरदेवी पत्नी किशोरलाल
2. मु0 कौशल्यादेवी पत्नी होशियारसिंह
3. मु0 लालीदेवी पत्नी जयपाल कोम कुम्हार निवासी ग्राम नौरंगपुर तहसील मानेसर जिला गुड़गावां (हरि.) हाल ग्राम तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज.)

-----:: वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय साहब अलवर द्वारा पैरोकार सरकार तहसीलदार तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

------:: प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:: निर्णय ::-

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 2007 रकबा है0 वाके ग्राम तिजारा जिला अलवर है। जिसका रकबा 0.54 है0 जोकि साबिक खसरा नम्बर 1138 से बना है म से ही भूड अव्वल बारानी रही है जिसका राजस्व रिकार्डेस जमाबन्दी संतव् 2013 में भूड अव्वल बारानी दर्ज विवादित आराजी पर सदेव से काश्त होती आ रही है व वर्तमान में भी काश्त कार्य में आ रही है तथा खसरा गवरी वो काश्त का अंकन हो रहा है। विवादित आराजी मिन वादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की मौका पर काबिज होकर काश्त कर रही है। विवादित आराजी की बाबत राजस्व विभाग के कर्मचारीगण वो कारीगण ने मौका की कब्जा काश्त व पूर्व के रिकोर्डेड आप राइटस के विपरित आराजी मुतनाजा 0.54 है0 को रा नम्बर 2007 में शामिल करते हुय गै0मु0नाला दर्ज कर दिया कि जो पूर्व में रिर्कोडेड आफ राइटस व मौका कब्जा काश्त के विपरित है जिसके कारण वादीगण के निहीत अधिकारों पर कुठाराघात होता है इसलिये दीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 2007 का रकबा 0.54 है0 को गै0मु0नाला के स्थान पर भूड अव्वल बारानी शोधित कराकर स्वयं को खातेदार घोषित कराने व अपने नाम का अमल कराने की अधिकारी है। मिन वादीगण । जब इस गलत अमल का ज्ञान हुआ तो वादीगण ने प्रतिवादीगण को अपने वकील साहब की मारफत दिनांक 2.05.2013 को एक रजिस्टर्ड नोटिस भेजा मगर नोटिस अवधि के अन्दर प्रतिवादी द्वारा दुरूस्ती नहीं की गई है सलिये न्यायालय श्रीमान् की शरण में वाद प्रस्तुत करना लाजिम आया है वास्ते मुलाहिजा नकल नोटिस मय सीद पोस्ट ऑफिस संलग्न है। अतः आराजी खसरा नम्बर 2007 का रकबा 0.54 है0 वाके ग्राम तहसील तिजारा

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा (अलवर)

ऽस्म भू.अ.बारानी है जिसकी वादीगण खरीददार काबिज खातेदार काश्तकार है। डिक्री दुरूस्ती इन्द्राज पारित ाकर खसरा नम्बर 2007 तिजारा का 0.54 है0 को गै0मु0नाला के स्थान पर भू.अ.बारानी दर्ज कर वादीगण में खातेदारी दर्ज की जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया व जवाब दावा प्रस्तुत करने का प्रदान किया गया। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में अवगत कराया गया है कि वाद में अंकित आराजी त से आदिनांक तक आराजी कि किस्म गै0मु0नाला अंकित है जो आर.टी.ए. की धारा 16 व माननीय उच्च लय राजस्थान जयपुर द्वारा पारित निर्णय बउनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार गै0मु0नला प्रतिवंधित भूमि है पर खातेदारी अधिकार कानूनन निषेध माना गया है। अतः वाद काबिल खारिज है।

वादीगण द्वारा अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसमें वाद में तथ्यों को दोहराया गया है। लिखित ामिल पत्रावली की गई। वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपने वाद के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2001 से 2004, क्षेत्रफल 2029 (प्रदर्श 1), जमाबनदी मुफस्सिल मौजा (प्रदर्श 2), खसरा गिरदावरी संवत् 2018–2021 (प्रदर्श रा गिरदावरी संवत् 2015–2016 (प्रदर्श 4), जमाबन्दी संवत् 2067–2070 (प्रदर्श 5), बयनामा दिनांक 02.09. प्रदर्श 6), नोटिस तहसीलदार (प्रदर्श 7), जमाबन्दी संवत् 2029 (प्रदर्श 8) पेश किये जो शामिल पत्रावली ये।

पत्रावली का अवलोकन किया बहस वादी पर मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2001 से 2004 साबिक खसरा 138 की किस्म भूड अव्वल बारानी रही है बन्दोबस्त विभाग द्वारा जमाबन्दी 2029 पैमुद करते समय साबिक नम्बर 1138 का हाल खसरा नम्बर 2007 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल बनाया गया है। बन्दोस्त विभाग को भूमि म परिवर्तन करने का कोई अधिकार निहित नहीं होने के कारण प्रार्थीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया ।

अतः आराजी खसरा नम्बर 2007 रकबा 2.14 है0 वाके ग्राम तिजारा जिला अलवर पर दर्ज वादीगण के .54 है0 कि किस्म को गै0मु0नाला के स्थान पर भूड अव्वल बारानी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते ुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
337/2013	23–09–2013	30/03/2022

उनवान

. मु0 केशरदेवी पत्नी किशोरलाल
. मु0 कौशल्यादेवी पत्नी होशियारसिंह
. मु0 लालीदेवी पत्नी जयपाल कोम कुम्हार निवासी ग्राम नौरंगपुर तहसील मानेसर जिला गुडगावां (हरि.) हाल ग्राम तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज.)

––––:: वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय साहब अलवर द्वारा पैरोकार सरकार तहसीलदार तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

––––––:: प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: पर्चा डिकी ::–

आराजी खसरा नम्बर 2007 रकबा 2.14 है0 वाके ग्राम तिजारा जिला अलवर पर दर्ज वादीगण के हिस्सा कि किस्म को गै0मु0नाला के स्थान पर भूड अव्वल बारानी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। र राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।
आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)